# राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

## 65वीं बैठक दिनांक 05 जून, 2018

## कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की **65वीं बैठक दिनांक 05 जून, 2018** को श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड सरकार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में श्री प्रकाश पंत, माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड सरकार, श्री उत्पल कुमार सिंह, मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन, श्रीमती मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन, श्री अमित सिंह नेगी, सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक एवं शासकीय विभागों, नाबार्ड के उच्चाधिकारियों तथा समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों / एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया।

इस बैठक में कार्यसूची के अनुरुप निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गयी :

**1. बैंकों द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार अंकित करना :**

बैंकों द्वारा कृषि ऋणों के विरुद्ध भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार अंकित करने के संदर्भ में तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी.. ने सदन को अवगत कराया कि संबंधित वेब एप्लीकेशन में बैंकों द्वारा दर्ज प्रभार के **Real Time Display** की व्यवस्था प्रदेश के कुल 100 तहसीलों में से 58 में लागू हो गयी है तथा राजस्व विभाग से **error free data** प्राप्त होने पर आगामी एक माह के अंदर अन्य तहसीलों में भी यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा राजस्व विभाग एवं एन.आई.सी. को निर्देशित किया गया कि वे आपसी समन्वय से इस कार्य को एक माह की समय सीमा में पूरा कर, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को सूचित करना सुनिश्चित करें।

**2. वसूली प्रमाण पत्र की ऑन-लाइन फाईलिंग :**

अपर सचिव (राजस्व), उत्तराखंड शासन ने सदन को अवगत कराया कि वसूली प्रमाण पत्रों की ऑन-लाइन फाईलिंग से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर संबंधित वेब एप्लीकेशन हेतु बैंकों के एडमिन यूजर के आई.डी. / पासवर्ड भी बना दिए गए हैं तथा बैंकों द्वारा वसूली प्रमाण पत्रों की ऑन-लाइन फाईलिंग का कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है। सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन बैंकों ने एडमिन यूजर के आई.डी. / पासवर्ड अभी तक नहीं बनवाए हैं, वे यथाशीघ्र राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के माध्यम से एन.आई.सी. के द्वारा बनवाना सुनिश्चित करें।

**3. आरसेटी :**

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में आरसेटी संस्थानों से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के बैंक शाखाओं को प्रेषित कुल 552 ऋण आवेदन पत्रों में से मात्र 198 में ही ऋण स्वीकृत / वितरित किए जाने को गम्भीरता से लेते हुए स्टेट डायरेक्टर, आरसेटी को निर्देशित किया गया कि निरस्त किए गए आवेदन पत्रों के कारणों की समीक्षा आरसेटी संस्थानों के स्तर पर किया जाए एवं वे राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की अगली बैठक में निरस्त ऋण आवेदन पत्रों के कारणों से सदन को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया कि वे आरसेटी संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के बैंक शाखाओं को प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों की समीक्षा

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली त्रैमासिक डी.एल.आर.सी. एवं डी.एल.आर.ए.सी. की बैठकों में करें, जिससे कि समस्त पात्र ऋण आवेदकों को बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित हो सके।

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन ने समस्त बैंक नियंत्रकों को निर्देशित किया कि वे आरसेटी संस्थानों से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के ऋण आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उन्हें ऋण स्वीकृत / वितरित करने में सकारात्मक रुप से विचार करें तथा यदि इन आवेदन पत्रों में कोई कमी होने की स्थिति में उसे अभ्यर्थी से संपर्क कर शाखा स्तर पर ही दूर किया जाए। साथ ही राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की ग्राम्य विकास उप समिति की बैठक में भी आरसेटी अभ्यर्थियों के बैंक शाखाओं को प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों की स्थिति को एक एजेण्डा बिंदु के रुप में रखने हेतु निर्देशित किया।

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड सरकार द्वारा आरसेटी संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों, जिनके द्वारा बैंक से ऋण ले कर स्वरोजगार स्थापित किया गया है, के **Follow Up** के हेतु भी बैंकों को निर्देशित किया गया, जिससे कि आरसेटी संस्थान के मूलभूत उद्देश्य की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।

**आरसेटी पिथौरागढ, जिसका संचालन दिनांक 01.04.2017 से उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की जगह भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किया जा रहा है, के परिवर्तन को सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

**4. <u>वार्षिक ऋण योजना</u> :**

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में वार्षिक ऋण योजना के सापेक्ष 90% की प्राप्ति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत मात्र 78% की ही प्राप्ति दर्ज की गयी है, जो कृषकों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पर्याप्त नहीं है। क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत वितरित ऋण राशि **₹ 5,325 करोड़** की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में बैंकों द्वारा **₹ 7,556 करोड़** के ऋण वितरित किए गए हैं, जो कि संतोषजनक प्रगति है। मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन ने बैंकों विशेषकर प्रमुख बैंकों से अपेक्षा की कि वे वित्तीय वर्ष 2018-19 में उन्हें वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत आबंटित लक्ष्यों, विशेषकर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आबंटित लक्ष्यों की शत प्रतिशत प्राप्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

**5. <u>ऋण-जमा अनुपात</u> :**

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड सरकार द्वारा 31 मार्च, 2018 में राज्य का ऋण-जमा अनुपात 57%, जिसमें 31 मार्च, 2017 की तुलना में 2% की वृद्धि दर्ज की गयी है, होने पर संतोष व्यक्त किया गया। उन्होंने जिलेवार ऋण-जमा अनुपात की समीक्षा करते हुए अग्रणी जिला प्रबंधक, पिथौरागढ़ से जानना चाहा कि मार्च, 2017 में 37% की तुलना मार्च, 2018 में जिले का ऋण-जमा अनुपात घटकर 33% होने का क्या कारण है। इस पर अग्रणी जिला प्रबंधक, पिथौरागढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि मार्च, 2017 की तुलना में मार्च, 2018 में जिले के बैंकों में सरकारी जमाओं में तुलनात्मक रुप से अधिक वृद्धि दर्ज किए जाने के कारण जिले के ऋण-जमा अनुपात में कमी परिलक्षित हो रही है।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि वे मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली त्रैमासिक ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने विषयक समिति की बैठक में रेखीय विभागों, बैंकों एवं नाबार्ड के साथ क्षेत्र विशेष आधारित ऋण वितरण की कार्ययोजना बनाएं और उसे क्रियान्वित करवाना सुनिश्चित करें, जिससे कि जिले के ऋण-जमा अनुपात में अपेक्षित वृद्धि दर्ज की जा सके। साथ ही सभी अग्रणी जिला प्रबंधक इस बैठक के साथ त्रैमासिक आयोजित होने

वाली डी.एल.आर.सी. की बैठक से संबंधित कार्य बिंदु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड सरकार ने बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों से अपेक्षा की कि वे प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत अधिकाधिक ऋण वितरण का सार्थक प्रयास करते हुए ऋण-जमा अनुपात को और अधिक बढ़ाने हेतु कार्य करेंगे।

### 6. <u>ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी - वी.-सैट</u> :

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड सरकार ने संबंधित बैंकों से कनेक्टिविटी रहित 209 एस.एस.ए. में वी.-सैट स्थापना के कार्य में विलम्ब होने का कारण जानना चाहा।

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि उनके बैंक द्वारा सभी व़ी.-सैट के आर्डर प्रेषित कर दिए गए हैं तथा इनकी स्थापना में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु **In-principle Approval** तथा प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 31 मार्च, 2018 को 31 मार्च, 2019 तक आगे बढाये जाने के लिये नाबार्ड को आवेदन पत्र प्रेषित किया गया है, जिस पर अभी निर्णय प्रतीक्षित है तथा नाबार्ड से इस संदर्भ में वांछित सूचना प्राप्त होने के एक माह के अंदर लम्बित वी.-सैट की स्थापना के कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा।

महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि उनके बैंक द्वारा स्थापित किए जाने वाले सभी वी.-सैट बी.एस.एन.एल. से क्रय कर लिए गए हैं, किंतु बी.एस.एन.एल. द्वारा वी.-सैट से संबंधित इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त किए जाने के कारण इनकी स्थापना में विलम्ब हो रहा है।

अध्यक्ष, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि वी.-सैट स्थापना हेतु अवशेष बचे 41 एस.एस.ए. में से 25 में अन्य माध्यमों से कनेक्टिविटी मिल गयी है तथा शेष एस.एस.ए. के लिए वी.-सैट क्रय कर लिए गए हैं, जिन्हें शीघ्र ही स्थापित कर दिया जाएगा। सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा उन्हें निर्देशित किया गया कि वे इसकी पुष्टि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित करें।

प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन ने बैंकों से कहा कि जिन एस.एस.ए. में बी.सी. / सी.एस.पी. नहीं मिल रहे हैं, उनमें वे सरकारी राशन विक्रेताओं, सी.एस.सी. **(Common Service Centre)** एवं स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों विशेष रुप से महिला सदस्य को बी.सी. / सी.एस.पी. के रुप में नियुक्त करने की कार्यवाही करें।

### 7. <u>प्रधानमंत्री जन-धन योजना</u> :

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड शासन ने बैंकों को निर्देशित किया कि वे प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खोले गए कुल खातों में शत प्रतिशत रु-पे डेबिट कार्ड जारी करना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे डिजीटल ट्रान्जेक्शन से संबंधित आँकड़े राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें, जिससे कि आगामी बैठकों में इससे संबंधित आँकड़े भी प्रस्तुत किए जा सकें।

### 8. <u>बैंकों के आधार पंजीकरण केंद्र के माध्यम से पंजीकरण / सत्यापन एवं आधार सीडिंग</u> :

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड शासन द्वारा बैंक शाखाओं में आधार पंजीकरण केंद्र की स्थापना एवं संचालन हेतु चयनित 230 शाखाओं में से मात्र 102 के सक्रिय रुप से कार्य करने को गम्भीरता से लेते हुए संबंधित बैक नियंत्रकों को निर्देशित किया गया कि वे इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना सुनिश्चित करें।

**9. <u>उत्तराखंड राज्य में वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता हेतु मूलभूत ढाँचा (बी.सी. / बैंक शाखा / पोस्ट ऑफिस) रहित ग्रामों पर चर्चा (NIC Survey)</u> :**

बैंक ऑफ बड़ौदा, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक एवं नैनीताल बैंक के नियंत्रकों द्वारा अवगत कराया गया कि **inadequately covered or uncovered by financial infrastructure** ग्रामों के अंतर्गत उन्हें आबंटित ग्रामों में जनसामान्य को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु बी.सी. / सी.एस.पी. की नियुक्ति कर दी गयी है। सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा उन्हें निर्देशित किया गया कि वे **5 दिनों** के अन्दर पत्र द्वारा इसकी पुष्टि उनके कार्यालय को प्रेषित करें। सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक से कहा कि वे पोस्ट मॉस्टर जनरल, डाक विभाग, उत्तराखंड से संपर्क कर, इन गाँवों में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने हेतु डाक घर खुलवाने हेतु समुचित कार्यवाही करें।

**10. <u>सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं</u> :**

सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन ने कहा कि राज्य के कुल परिवारों की संख्या 20,56,975 के सापेक्ष 17,82,842 खाताधारकों को ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से आच्छादित किया गया है, जिसमें अंतर लगभग 3 लाख है। उन्होंने बैंकों को निर्देशित किया कि वे इस योजनांतर्गत प्रधानमंत्री जन-धन योजना के सभी पात्र खाताधारकों को कवर करने हेतु विशेष प्रयास करें।

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड शासन ने बैंकों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, अत: वे इनका व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को इनके अंतर्गत सम्मिलित करने का प्रयास करें। साथ ही ग्राम स्वराज अभियान - 2 के अंतर्गत 695 गाँवों में उक्त योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को पहुँचाने के साथ-साथ यदि अन्य गाँवों के पात्र व्यक्तियों को भी लाभान्वित किया जाए तो अधिकाधिक व्यक्तियों को योजना के दायरे में लाया जाना संभव होगा।

**11. <u>वित्तीय साक्षरता</u> :**

सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन ने जनसामान्य को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने हेतु बैंकों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा की। क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक **04 से 08 जून, 2018** तक **उपभोक्ता संरक्षण (Customer Protection)** पर आधारित विशेष वित्तीय साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अतर्गत जनसामान्य को बैंकिंग लोकपाल, अनधिकृत / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन, डिजीटल बैंकिंग की सावधानियों एवं उच्च प्रतिफल वाले जमा योजनाओं के प्रति जागरुक कर संभावित आर्थिक हानि से बचना है। उन्होंने बैंकों से अपेक्षा की कि वे इसमें अपना सक्रिय योगदान प्रदान करेंगे।

**12. <u>किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करना</u> :**

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड सरकार द्वारा बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे कृषकों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कृषि क्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में Farm एवं Non-Farm सेक्टर के अन्तर्गत उन्हें आबंटित वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना सुनिश्चित करें।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कृषकों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए उन्हें डेयरी, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन आदि कृषि क्षेत्रों की सहायक गतिविधियों के अंतर्गत आसानी से ऋण उपलब्ध कराए जाने पर बल दिया गया। इस क्रम में मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नाबार्ड द्वारा उत्तराखंड राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु एरिया

डेवलपमेन्ट स्कीम के तहत जिलेवार डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन के अंतर्गत ऋण वितरण की कार्ययोजना तैयार की गयी है। उन्होंने बैंकों तथा अग्रणी जिला प्रबंधकों से अनुरोध किया कि वे इसके अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें, जो कृषकों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होगा।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड ने सदन को अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत फसली ऋण एवं कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों हेतु क्रमश: **₹ 7,037 करोड़** एवं **₹ 3,643 करोड़** का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो कि मिलकर कुल वार्षिक ऋण योजना का **53%** है।

अग्रणी जिला प्रबंधक, हरिद्वार ने कहा कि **Doubling of farmers' income** के परिप्रेक्ष्य में रेखीय विभागों यथा पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन विभाग, कृषि विभाग आदि के द्वारा इच्छुक अभ्यर्थियों के ऋण आवेदन पत्र एकत्र कर बैंक शाखाओं को प्रेषित किए जाएं तो बैंकों को अच्छे प्रस्ताव प्राप्त होंगे। फलत: कृषि क्षेत्र के अंदर निवेश को बढ़ावा मिलेगा एवं कृषकों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति किया जाना व्यवहार्य होगा।

सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन ने मुख्य सचिव महोदय से अनुरोध किया कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में बैंकों के अतिरिक्त शासन के अन्य रेखीय विभागों की भूमिका महत्वपूर्ण / आवश्यक है, अत: प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए, जिसके सदस्य कृषि, उद्यान, पशु पालन आदि रेखीय विभागों के साथ भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति हों।

**13. <u>टेनैन्ट फार्मर (Tenant Farmer)</u> :**

Tenant Farmer को बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराने के संदर्भ में शासन स्तर पर नीति निर्धारण के संबंध में सचिव (कृषि), उत्तराखंड शासन द्वारा अवगत कराया गया कि इस संदर्भ में भारत सरकार से मॉडल एक्ट Model Act प्राप्त हुआ है, जिसका अध्ययन किया जा रहा है।

**14. <u>फसल बीमा योजना</u> :**

सचिव (कृषि), उत्तराखंड शासन द्वारा सदन के माध्यम से बैंकों से अपेक्षा की गयी कि वे अपने बैंक के कुल फसली ऋण खातों की संख्या, उनमें से कितने खाते प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ एवं रबी 2017-18 के अंतर्गत संसूचित फसलों हेतु बीमित किए जाने की पात्रता रखते थे तथा उनमें से कितने खातों को बीमा से आच्छादित किया गया, इसकी सूचना उनके कार्यालय को उपलब्ध कराएं। इस क्रम में सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया कि उनके कार्यालय द्वारा सभी बैंकों से वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ एवं रबी 2017-18 की अधिसूचना के अनुरुप सभी संसूचित फसलों हेतु पात्र ऋण खातों का बीमा करने संबंधी पुष्टि प्राप्त कर, सचिव (कृषि), उत्तराखंड शासन के कार्यालय को पूर्व में ही उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही सभी बैंकों को निर्देशित किया कि बीमित कृषकों की सूचना भारत सरकार के बीमा पोर्टल **www.pmfby.gov.in** पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

**15. <u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन</u> :**

सचिव (कृषि), उत्तराखंड शासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उनके संज्ञान में आया है कि यदि किसी समूह के कुल सदस्यों में से एक या दो सदस्य ऋण चूककर्ता होते हैं, तो बैंक द्वारा उस समूह के ऋण

आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जाता है। इस पर मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संदर्भ में स्पष्ट दिशानिर्देशों जारी किए गए हैं, जिसके अनुरुप यदि किसी समूह का कोई सदस्य ऋण चूककर्ता हो, तब भी उस समूह को बैंक ऋण से इस शर्त के साथ वित्तपोषित किया जा सकता है कि किसी भी स्थिति में ऋण से प्राप्त राशि का लाभ चूककर्ता सदस्य को प्रदान नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रतिनिधि द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वितीय वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए 4,319 स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा उनके विभाग द्वारा लगभग 500 ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित कर दिए गए हैं। इस पर सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा उन्हें निर्देशित किया गया कि वे जून, 2018 माह के अंत तक निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष बैंक शाखाओं को पर्याप्त संख्या में ऋण आवेदन पत्र भिजवाना सुनिश्चित करें। सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा उनसे अनुरोध किया गया कि वे योजनांतर्गत भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2018-19 के लक्ष्य उनके कार्यालय को प्रेषित करें। साथ ही बैंकवार / शाखावार प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों की सूची सॉफ्ट कॉपी में उनके कार्यालय के साथ संबंधित बैंक नियंत्रकों को भी उपलब्ध कराएं, जिससे कि उनके स्तर से प्रभावी अनुवर्ती कार्यवाही की जा सके।

**16. <u>डेयरी उद्यमिता विकास योजना</u> :**

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड सरकार द्वारा डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

सचिव (पशु पालन), उत्तराखंड शासन द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन बैंकों द्वारा स्वयं के स्तर से किया जा रहा है। उन्होंने नाबार्ड से अनुरोध किया कि योजनांतर्गत आंचल डेयरी को सम्मिलित करते हुए लाभार्थियों के चयन में उनके विभाग को सम्मिलित करने के संदर्भ में संभावनाओं पर विचार किया जाए, जिस पर सचिव (वित्त), उत्तराखंड द्वारा कहा गया कि वे इस संदर्भ में नाबार्ड के साथ अलग से बैठक करें।

सचिव (पशु पालन), उत्तराखंड शासन द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि यद्यपि बैंकों द्वारा डेयरी के अंतर्गत ऋण दिए जा रहे हैं, किंतु राज्य में दुग्ध उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि परिलक्षित नहीं हो रही है, जिसका कारण पशुपालकों द्वारा राज्य के अंदर ही पशुओं की खरीद-फरोख्त किया जाना है। उन्होंने सुझाव दिया कि योजनांतर्गत एक या दो पशुओं हेतु ऋण दिए जाने में बदलाव कर इसे कम से कम तीन या चार पशुओं के लिए किया जाए, जिससे कि प्रदेश में नए दुधारु पशुओं की उपलब्धता बढ़ायी जा सके। इस क्रम में प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा निर्देशित किया गया कि वे इस विषयक नाबार्ड के साथ अलग से एक बैठक करें।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा बैंकों से अनुरोध किया गया कि वे डेयरी योजना में **Joint Liability Group (JLG)**, जिसमें रिकवरी प्रतिशत लगभग 90% है, के अंतर्गत अधिकाधिक ऋण वितरित करें।

**17. <u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)</u> :**

सचिव (शहरी विकास विभाग), उत्तराखंड शासन ने अवगत कराया कि योजनांतर्गत प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों के निस्तारण में बैंकों द्वारा काफी समय लगता है तथा प्रमुख बैंकों का **Rejection Rate** भी ज्यादा रहा है। उन्होंने अपेक्षा की कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजनांतर्गत सभी बैंक अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे, जिससे अधिकाधिक व्यक्तियों को स्वरोजगार प्रदान किया जा सकेगा। सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा उनसे अनुरोध किया गया कि योजनांतर्गत बैंकवार / शाखावार प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों की सूची

सॉफ्ट कॉपी में उनके कार्यालय के साथ संबंधित बैंक नियंत्रकों को भी उपलब्ध करायी जाए, जिससे कि उनके स्तर से प्रभावी अनुवर्ती कार्यवाही की जा सके।

**18. <u>प्रधानमंत्री आवास योजना - (Credit Link Subsidy Scheme)</u>** :

सचिव (शहरी विकास विभाग), उत्तराखंड शासन ने बैंकों से कहा कि यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है, जिसकी समीक्षा प्रधानमंत्री कार्यालय के स्तर से की जाती है। उन्होंने अवगत कराया कि योजनांतर्गत राज्य में **15,500** व्यक्तियों का पंजीकरण हुआ है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में नगर निकायों द्वारा टॉस्क फोर्स से चयन के उपरांत बैंक शाखाओं को **4,292** ऋण आवेदन पत्र अभी तक प्रेषित कर दिए गए हैं, जिनमें से **3,861** आवेदन पत्र अभी भी निस्तारण हेतु लम्बित हैं। सहायक महाप्रबंधक, राज्य सतरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड ने अवगत कराया कि उनके कार्यालय को निकायवार / बैंकवार / शाखावार **3,157** लम्बित आवेदन पत्रों की सूची प्राप्त हुई थी, जिसे संबंधित बैंक नियंत्रकों को इस आशय से अग्रसारित कर दिया गया है कि वे उनका निस्तारण दिनांक 30 जून, 2018 तक करवाना सुनिश्चित करें।

सचिव (शहरी विकास विभाग), उत्तराखंड शासन ने बैंकों से कहा कि वर्ष 2015 से जिन लोगों ने आवास ऋण लिया है तथा यदि वे प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों के अंतर्गत पात्रता रखते हों, तो उन्हें भी योजना का लाभ प्रदान कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने बैंकों से अनुरोध किया कि वे अपने बैंक से योजनांतर्गत लाभार्थियों की सूची उनके कार्यालय को उपलब्ध करवाएं।

**19. <u>स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान</u> :**

प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन, द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजनांतर्गत प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया।

**20. <u>एम.एस.एम.ई. ऋण</u> :**

प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा एम.एस.एम.ई. सेक्टर में बैंकों द्वारा दर्ज की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्हें निर्देशित किया गया कि वे इस सेक्टर में और अधिक ऋण प्रदान करें।

**21. <u>प्रधानमंत्री मुद्रा योजना</u> :**

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत दर्ज की गयी प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। उन्होंने बैंकों को निर्देशित किया कि वे जिला स्तर पर मुद्रा कैम्प का आयोजन करें, जिससे अधिकाधिक पात्र व्यक्ति योजनांतर्गत लाभान्वित हो सकें।

**22. <u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP)</u> :**

अपर निदेशक, एम.एस.एम.ई. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उत्तराखंड राज्य ने मार्जिन मनी वितरण हेतु आबंटित वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 135% की उपलब्धि दर्ज करते हुए देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। साथ ही यह भी अवगत कराया कि मार्जिन मनी क्लेम के संदर्भ में निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष 209% की उपलब्धि दर्ज करते हुए राज्य ने प्रतिशत उपलब्धि की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उनके द्वारा इस उपलब्धि की प्राप्ति में सहयोग हेतु बैंकों का धन्यवाद प्रकट किया गया।

**23. <u>वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना</u> :**

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड सरकार ने कहा कि पर्यटन को बढावा देने के उद्देश्य से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना राज्य की एक महत्वकांक्षी योजना है तथा बैंकों से अपेक्षा की कि वे इसमें अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

अपर सचिव (पर्यटन), उत्तराखंड शासन ने सदन को अवगत कराया कि राज्य में पर्यटन को उद्योग के रुप में विकसित करने एवं स्वरोजगारोन्मुखी योजना उनके विभाग द्वारा राज्य में **"दीन दयाल गृह आवास (होम स्टे)"** योजना चलायी जा रही है, जिसके अंतर्गत आगामी तीन वर्षों में 5000 होम स्टे बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह योजना नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राज्य में लागू की गयी है। योजनांतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के अथवा पट्टे के भवन, जिसमें वह परिवार सहित निवास करता हो एवं पर्यटकों / अतिथियों के ठहरने एवं उनके खान-पान की व्यवस्था करने को इच्छुक हो, अधिकतम 6 कमरों के लिए आवेदन कर सकता है। योजना में नए होम स्टे सृजित करने तथा पूर्व में बने भवनों की आंतरिकत साज-सज्जा, उनका विस्तार / नवीनीकरण / सुधार एवं शौचालयों के नव निर्माण व उच्चीकरण किए जाने हेतु बैंक ऋण लिए जाने की स्थिति में राज्य सरकार के स्तर से अनुदान का भी प्रावधान है। सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा पर्यटन विभाग को निर्देशित किया गया कि वे इस संदर्भ में प्रमुख बैंकों की एक कार्यशाला का आयोजन कर, उन्हें योजना से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही योजनांतर्गत वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को अवगत कराएं।

**24. <u>स्टैण्ड अप इण्डिया</u> :**

उपरोक्त योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष बैंकों द्वारा वांछित प्रगति दर्ज न किए जाने पर निर्देशित किया गया कि वे अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को योजनांतर्गत ऋण प्रदान करना सुनिश्चित करें।

**25. <u>हथकरघा बुनकरों हेतु मुद्रा योजना</u> :**

योजनांतर्गत वार्षिक लक्ष्य 1750 के सापेक्ष बैंक शाखाओं को मात्र 89 ऋण आवेदन पत्र प्रेषित किए जाने पर संबंधित विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि चूँकि अधिकांश बुनकरों द्वारा पूर्व में ही बैंकों से ऋण लिया गया है, तथा उनमें से अधिकतर **गैर-निष्पादित आस्तियाँ (एन.पी.ए.)** हैं, जिसके कारण नए ऋण आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं।

**26. <u>ऋण आवेदन पत्रों का प्रेषण एवं निस्तारण</u> :**

बैठक में संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि वे सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 के **प्रथम एवं द्वितीय त्रैमास में क्रमशः 40% एवं 60%** ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। साथ ही शाखावार प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों की सूचना संबंधित बैंक नियंत्रकों को भी उपलब्ध कराएं, ताकि उनके स्तर से प्रभावी अनुवर्ती की जा सके। बैंक नियंत्रक को भी निर्देशित किया गया कि वे उनकी शाखाओं को प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर करवाना सुनिश्चित करें।

## <u>श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, माननीय मुख्य मंत्री, उत्तराखंड</u>

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने संबोधन में विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई देते हुए उपस्थित प्रतिभागियों से यह अपेक्षा की कि वे पर्यावरण के संरक्षण हेतु अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करेंगे।

उन्होंने भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं यथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि का जिक्र करते हुए कहा कि यद्यपि इनमें बैंकों द्वारा काफी काम किया गया है, कितु ये योजनाएं चूँकि सीधे सीधे समाज के कमजोर वर्ग से जुड़ी हैं, अत: इन्हें शत प्रतिशत सफल बनाने हेतु और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

मुख्य मंत्री महोदय ने कृषकों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए अपेक्षा की कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें निश्चित समय सीमा में प्राप्त करने हेतु वास्तविक प्रयास करेंगे, जिससे कि लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो सके।

## <u>श्री प्रकाश पंत, माननीय वित्त मंत्री जी, उत्तराखंड</u>

माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि आज की बैठक में काफी सकारात्मक समीक्षा / चर्चा हुई तथा उनके द्वारा अपेक्षा की गयी कि बैंक एवं रेखीय विभाग समन्वय स्थापित करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित वार्षिक ऋण योजना एवं अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा अप्रशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से आरसेटी संस्थानों की स्थापना की गयी है, अत: बैंकों द्वारा आरसेटी संस्थानों से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है।

वित्त मंत्री महोदय ने बैंकों से अपेक्षा की कि वे भारत सरकार के वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय भूमिका निभाएंगे एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की आगामी बैठक से पूर्व लम्बित वी.-सैट स्थापना के कार्य को पूर्ण कर लेंगे।

माननीय वित्त मंत्री महोदय ने स्वरोजगार प्रदान करने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए बैंकों से पुन: अपेक्षा कि वे योजनांतर्गत कैम्प मोड में अधिकाधिक पात्र व्यक्तियों को ऋण प्रदान करेंगे।

बैठक के अंत में श्री अजीत सिंह ठाकुर, महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने अध्यक्ष, माननीय मुख्य मंत्री, उत्तराखंड सरकार के साथ माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड सरकार एवं उपस्थित राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सहयोगी बैंकों, बीमा कंपनियों से आये अधिकारियों का सहयोग एवं सहभागिता के लिये तथा मीडिया बंधुओं को बैठक की कार्यवाही की कवरेज करने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी बैंक एवं रेखीय विभाग आपस में सामंजस्य स्थापित कर कार्य करेंगे, जिससे राज्य की आर्थिकी में गुणात्मक वृद्धि दर्ज की जा सके।

***********************